संख्या-11/2021/368/30-3-21-06बी/2014

प्रेषक,

डा० अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 04 फरवरी, 2021

विषय :- सूचना विभाग को उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष व्ययोपरान्त अवशेष धनराशि के मद परिवर्तन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1371स0सु0/2020-02स0सु0/2017, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना विभाग को उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष व्ययोपरान्त अवशेष धनराशि रूपया 2,38,47,722/- लाख का मद परिवर्तन कराये जाने के साथ ही अवशेष उपलब्ध धनराशि रू0 86,35,148/- (रूपया 3,24,82,870-रूपया 2,38,47,722) को सड़क सुरक्षा के क्रिएटिव/विज्ञापन एफ0एम0, समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन, होर्डिंग, बुकलेट/पत्रिका, फोल्डर आदि के द्वारा प्रचार-प्रसार पर व्यय किये जाने की निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24-03-2020 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
(2) वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रावधानित धनराशि में से दिनांक 31-03-20201 तक व्यय धनराशि का विवरण शासन/महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
(3) व्यय विवरण प्रत्येक मास की 10 तारीख तक वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(डा० अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-11/2021/368(1)/30-3-2021, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in